महत्वपूर्ण/शीघ्र

संख्या–1031/नौ–9–2021–113ज/19

प्रेषक,

डॉ0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. मण्डलायुक्त, मेरठ, आगरा, अयोध्या, गोरखपुर एवं बरेली, उ0प्र0।
2. मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी, उ0प्र0 लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा–वृन्दावन एवं शाहजहांपुर, उ0प्र0।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा–वृन्दावन एवं शाहजहांपुर, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक 17 मई, 2021

विषय– राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत निर्गत धनराशि के उपयोग हेतु दिशा–निर्देश के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश के 07 नगर निगमों (मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा–वृन्दावन एवं शाहजहांपुर) को राज्य स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु गाईडलाइन्स शासनादेश संख्या–1170/नौ–9–2019–113ज/19 दिनांक–30.09.2019 के माध्यम से निर्गत की गयी है, किन्तु योजनान्तर्गत परियोजनाओं के टेण्डर, प्राप्त बिड्स के तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन तथा भुगतान की प्रकिया आदि का निर्धारण तत्समय नहीं किया गया था। अतः इस सम्बन्ध में कार्यवाही के लिये निम्नवत् प्रकिया निर्धारित की जा रही हैं :–

1. योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि हेतु राष्ट्रीयकृत व्यवसायिक बैंक में बचत खाता खोला जायेगा। मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी द्वारा उक्त खाते में योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि का अन्तरण किया जायेगा।
2. इस खाते का संचालन उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम–1959 एवं प्रभावी नियमावली में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत नगर आयुक्त एवं वरिष्ठतम वित्त आधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। किसी भी स्थिति में एकल हस्ताक्षर से धनराशि का आहरण नहीं किया जायेगा।
3. उक्त खाते में रखी गयी धनराशि पर अर्जित ब्याज की धनराशि सुसंगत लेखा–शीर्षक के अन्तर्गत यथासमय राजकोष में जमा करायी जायेगी।
4. उक्त खाते का प्रयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
5. धनराशि का आहरण सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।
6. परियोजनाओं के टेण्डर निर्गत करने एवं प्राप्त बिड्स के तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन हेतु निम्नवत् समिति का गठन किया जाता है:–

1	नगर आयुक्त	अध्यक्ष
2	जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय	सदस्य
3	मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी, नगर निगम	सदस्य
4	मुख्य अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम	सदस्य सचिव
5	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित अपर पुलिस अधीक्षक (केवल ITMS एवं स्मार्ट पार्किंग की परियोजनाओं हेतु)	सदस्य
6	मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी द्वारा नामित टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप (टी0एस0जी0) का एक सदस्य (केवल ITMS, ICCC, स्मार्ट रोड, स्मार्ट पार्किंग एवं अन्य सॉफ्ट साल्यूशन्स की परियोजनाओं हेतु)	सदस्य
7	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग	सदस्य
8	अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पॉवर कॉरपोरेशन लि0	सदस्य
9	आवश्यकतानुसार अन्य कोई विषय–विशेषज्ञ अध्यक्ष की अनुमति से	सदस्य

7. मिशन निदेशालय स्तर पर आबद्ध पी0एम0सी0/टी0एस0जी0 का टीम लीडर, (केवल ITMS, ICCC, स्मार्ट रोड, स्मार्ट पार्किंग एवं अन्य सॉफ्ट साल्यूशन्स की परियोजनाओं हेतु) प्राप्त ब्रिड के तकनीकी मूल्यांकन में अनिवार्य रूप से विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में उक्त समिति की बैठको मे प्रतिभाग करेंगे।

Scanned with CamScanner

8. राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत परियोजनाओं के लिए आमंत्रित टेण्डर के सापेक्ष प्राप्त बिड्स को अन्तिम रूप देते हुए टेण्डर की स्वीकृति नगर आयुक्त के माध्यम से मण्डलायुक्त द्वारा प्रदान की जायेगी।
9. राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत कार्यों की तकनीकी स्वीकृति नगर निगम के मुख्य अभियन्ता/प्रभारी मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रदान की जायेगी।
10. राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के प्रस्तुत होने वाले देयकों/बिलों के परीक्षणोपरान्त नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी/प्रभारी मुख्य लेखाधिकारी के माध्यम से नगर आयुक्त द्वारा कार्य की मात्रा एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उपरान्त सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत की जायेगी।
11. सम्बन्धित मण्डलायुक्त द्वारा राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत चयनित परियोजनाओं की प्रगति की समय–समय पर समीक्षा की जायेगी। संबंधित नगर आयुक्त द्वारा परियोजनाओं का नियमित रूप से अनुश्रवण किया जायेगा तथा शासन एवं मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से पाक्षिक/मासिक आधार पर अवगत कराया जायेगा।
12. सामग्री/सम्पूर्ति का क्रय वित्त विभाग तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के सुसंगत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।
13. कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी नगर आयुक्त की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जायें।
14. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाये।
15. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी।
16. वित्तीय मामलों में सम्बन्धित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की पूर्ण विवरण सहित सूचना वित्त विभाग एवं नगर विकास विभाग को दी जायेगी।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,** गृह विभाग, ऊर्जा विभाग, वित्त विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. **पुलिस महानिदेशक,** उत्तर प्रदेश।
3. **अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक,** यातायात, यातायात निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
4. **निदेशक,** स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करे।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
उप सचिव।

Scanned with CamScanner